भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2025-26/66
वि.स.वि.वि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.8/05.05.010/2025-26

11 जुलाई 2025

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्तीय बैंकों सहित)
सभी राज्य सहकारी बैंक और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

सोने और चाँदी के संपार्श्विक प्रतिभूति पर ऋण – कृषि और एमएसएमई ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में सोने और चाँदी को स्वैच्छिक रूप से गिरवी रखना

कृपया हमारे कृषि हेतु ऋण प्रवाह – संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण पर दिनांक 06 दिसंबर 2024 के परिपत्र विसविवि.केंका.एफ़एसडी.बीसी.सं.10/05.05.010/2024-25 तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार पर दिनांक 24 जुलाई 2017 के मास्टर निदेश विसविवि.एमएसएमई एंड एनएफएस.12/06.02.31/2017-18 (11 जून 2024 की स्थिति के अनुसार अद्यतन)[1] के पैरा 4.1 का संदर्भ लें।

2. कृपया दिनांक 6 जून 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (सोने और चाँदी की संपार्श्विक प्रतिभूति पर ऋण) निदेश, 2025 का भी संदर्भ लें।

3. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ताओं द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वेच्छा से गिरवी रखे गए सोने और चांदी पर बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों, जो संपार्श्विक प्रतिभूति रहित सीमा तक

[1] क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए लागू नहीं

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग,केंद्रीय कार्यालय, 10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, पो.बा.सं.10014, मुंबई 400 001
टेलीफोन/ Tel.No: 91-22-22661000 फैक्स/ FaxNo: 91-22-22621011/22610948/22610943
ई-मेल/ Email ID:cgmincfidd@rbi.org.in
Financial Inclusion & Development Department, Central Office, 10th Floor, C.O. Building, Post Box No.10014, Mumbai 400 001
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

"चेतावनी: - रिज़र्व बैंक द्वारा मेल, डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।"

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

स्वीकृत किए गए हैं और जो उक्त पैरा 1 में उल्लिखित परिपत्र/ मास्टर निदेश के अंतर्गत आते हैं, को ऐसी संपार्श्विक प्रतिभूति के संबंध में उपर्युक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

भवदीय,

(आर गिरिधरन)
मुख्य महाप्रबंधक